


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No. 60]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 63(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज अधिनियम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीज (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

बीज अधिनियम, 1968 में “प्ररूप 1 से 8” प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप 1

(देखें नियम 15)

(प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा अनुदान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन)

1. (क) नाम

(ख) पता

(ग) फोन नं.

(घ) ई-मेल आईडी

2. खेत का सही अवस्थान

3. प्रमाणीकरण के लिए प्रस्थापना की जाने वाली

फसलों और बीज की किस्मों के नाम

4. प्रमाणीकरण के लिए प्रस्थापना की जाने वाली प्रत्येक फसल और किस्म के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
5. उत्पादित आधार/प्रमाणित बीज की वांछित श्रेणी
6. उपरोक्त 5 मदों के लिए बीज का साधन (टैग नं. और टैग पर अन्य विशिष्टाएं भी दर्शाएं)
7. "पृथक्त्व दूरी" (मीटर में) एक ही फसल की अन्य किस्मों से
8. रोपण की वास्तविक या प्रस्तावित तारीख

हस्ताक्षर
दिनांक

प्ररूप 2
(देखें नियम 17)
(प्रमाण पत्र)

बीज प्रमाणीकरण अभिकरण का नाम-----
 टैग नंबर -----
 फसल-----किस्म-----
 लॉट नं. -----
 अंकुरण ----- % ----- % से कम नहीं
 परीक्षण की तारीख -----
 प्रमाणीकरण ----- तक विधिमान्य
 न्यूनतम शुद्ध बीज %
 आंतरिक सामग्री -----% से अधिक नहीं -----%
 खरपतवार बीज (अधिकतम) %
 अन्य फसल बीज ----- से अधिक नहीं ----- %
 उत्पादक ----- (नाम और पूरा पता) -----
 बीज की श्रेणी -----

निदेशक
बीज प्रमाणीकरण अभिकरण

कृपया ध्यान रखें:

1. आधार बीज के लिए सफेद टैग का उपयोग किया जाएगा।
2. प्रमाणित बीज के लिए नीले टैग का उपयोग किया जाएगा।
3. ठंडे शुष्क वातावरण के अंतर्गत संग्रहित किए गए उपलब्ध कराए गए बीज पर लगे टैग पर दर्शाए गए समय के लिए प्रमाणीकरण विधिमान्य होगा।

प्ररूप 3
(देखें नियम 27)

सेवा में

(विक्रेता नाम और पता)

जहां तक मेरे विश्वास करने का कारण है कि अपने कब्जे में बीज के भंडार विवरण को बीज अधिनियम, 1966 की धारा 6 के उपबंध का उल्लंघन मानते हैं।

मैं एतद्वारा आपको बीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 की उपधारा (1) की धारा (ग) के अधीन यह निदेश देता हूं कि उक्त स्टाक का तारीख से निस्तारण न किया जाए और निम्नलिखित कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए :-

बीज भंडार का ब्यौरा

बीज निरीक्षक
क्षेत्र

स्थान -----

दिनांक -----

प्ररूप 4
(देखें नियम 28)
(अभिग्रहण अभिलेख की रसीद के लिए प्ररूप)

सेवा में

(विक्रेता नाम और पता)

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीनके परिसर में स्थित -----
में ----- नीचे दिए गए

अभिलेख विवरण को इस दिन से मेरे द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

अधिग्रहित किए गए बीज भंडार का ब्यौरा

बीज निरीक्षक
क्षेत्र

स्थान -----

दिनांक -----

प्ररूप 5
(देखें नियम 29)
(बीज विश्लेषक का ज्ञापन)

प्रेषक :

सेवा में

बीज विश्लेषक

नीचे वर्णित नमूने को बीज अधिनियम, 1966 की धारा (ग) की उपधारा (1) के खंड 14 और/या खंड (ख) और (ग) के उप-खंड (2) के खंड 15 के अधीन परीक्षण और विश्लेषण के लिए भेजा जाता है।

नमूने की क्रम संख्या

संग्रहण की तारीख और स्थान

विश्लेषण/परीक्षण के लिए प्रस्तुत सामग्री की प्रकृति

2. नमूने के पैकेट को मुहरबंद करने के लिए प्रयुक्त की गई मुहर के ज्ञापन और नमूना छाप की एक प्रति डाक द्वारा/दस्ती रूप से अलग से भेजी जा रही है।

बीज निरीक्षक
क्षेत्र

तारीख -----

- जो लागू नहीं उसे काट दें।

प्ररूप 6
(देखें नियम 34)
(नमूना लेने के लिए सूचना)

सेवा में

(विक्रेता नाम और पता)

मैं आपके स्टॉक से परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नमूना आशय लेने के लिए आपको सूचित करता हूँ।

बीज निरीक्षक
क्षेत्र

तारीख -----

प्ररूप 7

(देखें नियम 35)

(बीज विश्लेषक द्वारा परीक्षण और/या विश्लेषण का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि नमूना (नमूने) दर्शित संख्या -----नमूने की
तथाकथित संख्या -----को प्राप्त----- ज्ञापन सं.----- दिनांक -----
के ऐसे परीक्षण/विश्लेषित परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:-

2. पैकेट और बाहरी मुहरबंद की रसीद पर सील की स्थिति इस प्रकार थी -

3. टिप्पणियां, यदि कोई हो

बीज विश्लेषक

स्थान -----

तारीख -----

प्ररूप 8

(देखें नियम 39)

(बीज नमूना लेने के लिए ज्ञापन)

सेवा में

मैं, आज ----- के ----- परिसर में स्थित से लिए गए नीचे निर्दिष्ट बीज नमूने बीज विश्लेषक द्वारा किए
गए परीक्षण/विश्लेषण हेतु लिए हैं।

लिए गए नमूनों का ब्यौरा

नमूने की लागत की मांग क्या है ?

नमूने की लागत

भुगतान की गई रकम

बीज निरीक्षक
क्षेत्र

तारीख -----

पक्ष के हस्ताक्षर जिसके परिसर से नमूने लिए गए और भुगतान किया गया

[फा. सं. 13-49/2014-एसडी. IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) सं. सा.का.नि. 1632, तारीख 29 अगस्त, 1968 और पश्चात्
संशोधित सं. सा.का.नि. 329(अ), तारीख 30 जून, 1973; सा.का.नि. 211(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1975; सा.का.नि. 52(अ), तारीख
30 जनवरी, 1976 और सा.का.नि. 389(अ), तारीख 10 जून, 1981 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seed Rules, 1968, namely:-

1. (1) These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 2014.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Seed Rules, 1968, for “Form I to VIII” the following forms shall be substituted, namely:-

“FORM I
(See rule 15)

(Application for grant of certificate by seed certification agency)

1. (a) Name
(b) Address
(c) Phone number
(d) E-mail ID
2. Exact location of farm
3. Names of crops and varieties of seed offered for certification.
4. Area under each crop and variety offered for certification.
5. Class of seed desired to be produced
Foundation/Certified.
6. Source of seed for item 5 above
(also mention Tag number and other particulars on the tag).
7. “Isolation distance” (in meters) from other varieties of the same crop.
North to South : East to West.
8. Actual or proposed date of planting.

Signature
Date

FORM II
(See rule 17)

(Certificate)

Name of the Seed Certification Agency _____
 Tag number _____
 Crop _____ Variety _____
 Lot number _____
 Germination _____ % Not below %
 Date of test _____
 Certification valid upto _____
 Minimum pure seed %
 Inert matter _____ % Not more than _____ %
 Weed seeds (Max) %
 Other crop seeds _____ Not more than _____ %
 Producer _____ (Name and full address) _____
 Class of seed _____

Director
Seed Certification Agency

N.B.:-

1. A white tag shall be used for foundation seed.
2. A blue tag shall be used for certified seed.
3. Certification shall be valid for the period indicated on the tag provided seed is stored under cool dry environment.

FORM III
(See rule 27)

To

(Name and address of the vendor)

Whereas I have reason to believe that the stock of seeds in your possession detailed below contravenes the provisions of section 6 of the Seeds Act, 1966.

I hereby direct you under clause (c) of sub-section (1) of section 14 of the Seeds Act, 1966 not to dispose of the said stock for a period of from this _____ date and take action to remove the following defects:-

Details of stock of seeds

Place _____
 Date _____

Seed Inspector
Area

FORM IV
(See rule 28)
(Form of receipt for seizure of records)

To

(Name and address of the vendor)

The records detailed below have this day been seized by me under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 14 of the Seeds Act, 1966 from the premises of _____ situated at _____

Details of records seized

Place _____

Date _____

Seed Inspector
Area

FORM V
(See rule 29)
(Memorandum to Seed Analyst)

From:

To

The Seed Analyst

The sample described below is sent herewith for test and analysis under clause (b) of sub-section (1) of section 14 and/or clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 15 of the Seeds Act, 1966.

1. Serial number of the sample.
2. Date and place of collection.
3. Nature of the articles submitted for analysis/test.
2. A copy of this memo and specimen impression of the seal used to seal the packet of sample is being sent separately by post/hand.*

Date _____

Seed Inspector
Area

*Strike out whichever is not applicable

FORM VI*(See rule 34)***(Notice for drawing samples)**

To

(Name and address of the vendor)

I hereby give you the notice of my intention of taking a sample of seed from your stocks for the purposes of tests or analysis.

Date _____

**Seed Inspector
Area****FORM VII***(See rule 35)***(Certificate of test and/or analysis by the Seed Analyst)**

Certified that the sample(s) bearing number _____ purporting to be a sample of _____ received on _____ Memorandum No. _____ dated _____ results of such test(s)/analysis is/are as stated below.

2. The condition of the seals on the packet and the outer covering on receipt was as follows.

3. Remarks, if any.

Place _____

Seed Analyst

Date _____

FORM VIII*(See rule 39)***(Memorandum for drawing the seed sample)**

To

I have this day taken from the premises of _____ situated at _____
 samples of seeds specified below to have the same tested/analysed by Seed Analyst.

Details of samples taken

Whether cost of sample demanded?

Cost of sample:

Amount paid:

Date _____

Seed Inspector
Area

**Signature of the party from whose
 premises samples taken and payment made.”**

[F. No. 13-49/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number G.S.R. 1632, dated the 29th August, 1968 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 329(E), dated the 30th June, 1973; G.S.R. 211(E), dated the 29th April, 1975; G.S.R. 52(E), dated the 30th January, 1976 and G.S.R. 389(E), dated the 10th June, 1981.